कामकाजी महिला

वर्ष 4   अंक 4   अप्रैल, 1992   मूल्य : 2 रु०

का० एम० बासवपुनैया को कामकाजी महिला की श्रद्धांजलि

12 अप्रैल 1992 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिष्ठित और जाने-माने नेता कॉ० एम० बासवपुनैया का निधन हो गया। उनका निधन अत्यंत आकस्मिक ढंग से हुआ। यह घटना और अधिक चौंकाने वाली इसलिए बन जाती है क्योंकि वे राज्यों के दौरे, राजनीतिक सलाह देना तथा आवश्यक बहस के हस्तक्षेप करने जैसी अपनी सभी सामान्य गतिविधियाँ जारी रखे हुए थे। कौन सोच सकता था कि अचानक दस मिनट में उनका निधन हो जायेगा जबकि वे किसी राजनीतिक विचार-विमर्श में व्यस्त थे?

जब मैं बम्बई से लौटकर घर पहुँची तो एकबारगी मैं उनके निधन की खबर पर विश्वास नहीं कर सकी। मैं तुरन्त 14, अशोक रोड की ओर भागी। मैं अपने आप पर नियन्त्रण नहीं कर सकी। मैं उनसे मिलना चाह रही थी। वे सघन चिकित्सा कक्ष में थे तथा किसी को उन्हें परेशान करने की इजाजत नहीं थी। जब मैं मार्च में केन्द्रीय समिति की बैठक में उनसे मिली तब वे बिल्कुल ठीक थे और बातचीत में हिस्सा ले रहे थे। उनकी तबियत पहले से काफी ठीक हो गयी थी। मैं इस बात से प्रभावित हुई थी। लेकिन नहीं! बीमारी ने 77 वर्ष की उम्र में उनके जीवन पर कब्जा कर लिया था।

हम अक्सर कॉ० पी० एस० और कॉ० एम० बी० को तेलंगाना के हीरो के रूप में याद करते थे। दोनों ने पार्टी व मजदूर आन्दोलन के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कॉ० एम० बी० ने माकपा की विचारधारा तथा राजनीति के विकास में योगदान दिया। यह आकस्मिक नहीं है कि वे 1970 के गोवा सम्मेलन में मौजूद थे जिसमें सीटू के गठन का फैसला लिया गया था। वर्ग विचारधारा के आधार पर बुर्जुआ जमींदारी से लोहा लेने का नारा सही साबित हुआ। यह स्वाभाविक ही था कि वे उस चार सदस्यीय टीम के सदस्य थे जो 1951-52 में कॉ० स्टालिन से मिली।

कॉ० बी० टी० आर० तथा कॉ० एम० बी० बहुत अच्छे मित्र थे। जब कभी कॉ० एम० बी० की कुछ आव-

इस अंक में

महिलाओं पर होने वाले हमलों का 8 मार्च को विरोध	3
हैदराबाद में आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना व सम्मेलन	5
आई० सी० डी० एस० कर्मी समिति का पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में सम्मेलन	6
आई. सी. डी. ऐसोसियेशन का दूसरा राज्य सम्मेलन	7
चीन, क्यूबा तथा नेपाल की बिरादराना महिला साथियो से उनके देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में बातचीत	9
इतिहास के पन्नों से	14
78 दिन की आम हड़ताल में बिहार की कामगार महिलाओं की शानदार सफलता	14
टी. यू. आई. ए. एफ. पी. डब्ल्यू द्वारा 8 मार्च पर बधाई	15
राउरकेला में पत्नी की हत्या	15
कॉ० गिरिजा की याद में	16
का० के० पी० जानकी अम्माल को अश्रुपूर्ण विदाई	16
बोट क्लब पर हजारों महिलाओं द्वारा गिरफ्तारी	17
उद्योगों में महिलाएं	18
अफसरशाही, सामंती जुल्म एवं महंगाई के विरुद्ध संघर्ष	23
पंजाब आंगनवाड़ी महिलाओं ने हजारों की संख्या में गिरफ्तारी दी	24

कवर : (ऊपर) 5 मार्च '92 को का० विमल रणदिवे गिरफ्तारी देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए।

" : (नीचे) भीड़ का एक दृश्य।

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

श्यक बातें करने की इच्छा होती, वे कॉ० बी०टी०आर० के पास आते थे। वे लोग देर तक बैठकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बात किया करते थे। कॉ० बी० टी० आर० को कभी उनके आने पर ऐतराज नहीं होता था। कॉ० एम० बी० को इस बात का अहसास था कि कॉ० बी०टी०आर० अपनी गंभीर बीमारी के बाद दिल्ली वापस नहीं लौटेंगे। हमारे कॉ० बी० टी० आर० को बम्बई अस्पताल में दाखिल करने जाने के एक दिन पहले कॉ० एम० बी० और कॉ० जगदम्बा हमारे घर आये। वे ज्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि कॉ० बी० टी० आर० को पीड़ित देखना उनके लिए शायद संभव नहीं था। कॉ० एम० बी० एकदम खड़े हो गये। उन्होंने कॉ० बी० टी० आर० को आखिरी बार लाल सलाम किया और हाथ मिलाकर चले गये…। मैं इस बात से कुछ चौंक-सी गयी थी। इसका क्या अर्थ है? क्या कॉ० बी० टी० आर० जीवित नहीं रहेंगे? लेकिन कॉ० एम० बी० अपने साथियों का भविष्य अच्छी तरह जानते थे।

आज जबकि कॉ० एम० बी० के योगदान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सभी को उनकी कमी खल रही है। सभी के दिल में यह खयाल है कि पुराने साथी धीरे-धीरे हमें छोड़ कर जा रहे हैं। मैंने पूरा दिन कॉ० जगदम्बा के घर पर बिताया। मैं उनसे क्या कह सकती थी। मैं खुद टूट चुकी थी। मैं उनसे एक शब्द भी नहीं कह सकी। वह बीमार है, फिर भी घर का सारा काम जिद करके खुद ही करती है। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि कॉ० जगदम्बा तेलंगाना संघर्ष की नायिकाओं में से एक थी। बहुत से कामरेड इस बात को नहीं जानते। वह खुद कभी इसकी चर्चा नहीं करती थी। लेकिन उसने 1946-1951 में पार्टी द्वारा रजकाटा के विरुद्ध छेड़े गये सशस्त्र संघर्ष में सहयोग दिया। उसने तेलंगाना संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जिसने कॉ० पी० एस०, कॉ० एम० बी० व अन्य अनेक लोगों को देश का प्रमुख नेता बनाता। वे महिलाओं के हितों के समर्थक थे। जब भी उनसे मिलते वे सीटू और महिलाओं की समस्याओं पर बात करते थे। कॉ० एम० बी० का निधन पार्टी के लिए एक गंभीर क्षति है। यह बात और अधिक इसलिए महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अत्यन्त जटिल हैं। उनसे हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि क्रान्ति व समाजवाद के परचम को ऊँचा उठाये रहें व अपनी विचारधारा पर दृढ़ता से अमल करें।

यह हमारे महान नेता, कॉ० एम० बी० को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 'कामकाजी महिला' की ओर से हम कॉ० जगदम्बा, जसवन्त व उनकी पत्नी के प्रति अपनी हार्दिक सम्वेदना व्यक्त करते हैं।

महिलाओं पर होने वाले हमलों का ८ मार्च को विरोध

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के विरोध में मनाया गया। गेहूं, चावल, चीनी आदि सभी वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गयी। राशन की दुकानों पर सामान नहीं है और लोगों को बार-बार खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। बसों के किराये में हुई वृद्धि से आम आदमी खासतौर पर मध्यम वर्ग पर सर्वाधिक बोझ पड़ा है। दिल्ली में सरकार ने आधी से ज्यादा बसों को 'ग्रीन-लाईन' तथा 'डीलक्स' बसों में बदल दिया है जिनका किराया 4 रु० से 21 रु० तक है। रेल बजट व आम बजट ने भी आम आदमी पर बहुत बोझ डाला है। लोगों का गुस्सा 29 नवम्बर की हड़ताल से प्रकट हो चुका है जिसने केरल पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु आदि राज्यों में बन्द का रूप ले लिया था। रेल-किराये व आरक्षण शुल्क में वृद्धि का सामना आम आदमी कैसे करेगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है।

इस 8 मार्च को महिलाओं की स्थिति क्या है? गृहणियाँ 10-12 रु० प्रति किलो से कम कीमत पर सब्जी नहीं खरीद सकतीं। वे अपने बच्चों को पर्याप्त दूध उपलब्ध नहीं करा सकतीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1991 में दहेज से हुई मौतों की संख्या 2996, बलात्कारों की संख्या 5916 तथा महिलाओं पर अत्याचारों व छेड़खानी की 12902 घटनाएं हुई हैं। उत्तर-प्रदेश में दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब जबकि संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर 'बालिका-दिवस' मनाया जा रहा है, यह कितने दुःख की बात है कि

8-10 वर्ष की बालिकाओं के साथ बलात्कार व हत्या की घटनाएं घट रही हैं ।पुनर्वास कालोनी में एक लड़के द्वारा 10 माह की एक बच्ची के साथ भी यह घृणित अपराध किया गया । बच्चियों के साथ बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाएं मानव की पशुतापूर्ण चरित्र को उजागर करती हैं । इस पर दूरदर्शन व पश्चिमी संस्कृति का भी प्रभाव है । कभी-कभी आश्चर्य होता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं तथा कहाँ जाकर रुकेंगे । दफ्तरों में महिलाओं को परेशान किए जाने व अधिकारियों के समक्ष झुकाने के लिए उनके साथ यौन छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं । विरोध करने पर उन्हें मुअत्तल करने की धमकी दी जाती है ।

हाल ही में 7-3-92 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या 45.37 लाख है । इसके अलावा 3 करोड़ बेरोजगार हैं, 26 बीमार इकाइयाँ हैं तथा 1,75,000 फैक्ट्रियाँ बन्द पड़ी हैं, इसके पहले कभी भी स्थिति इतनी गंभीर नहीं हुई थी ।

महिलाओं, खासतौर पर कामकाजी महिलाओं को इस स्थिति का खामियाजा उठाना पड़ेगा । उसे अपनी नौकरी के साथ ही साथ घर तथा बच्चों की भी फिक्र करनी है, मुद्राकोष तथा विश्व बैंक से लिये गये विदेशी कर्ज का इस्तेमाल उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अनेक कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया जायेगा । दफ्तरों में कम्प्यूटरों के आने से सबसे पहले महिलाओं को बाहर निकाला जायेगा जबकि वे किसी भी वेतन पर किसी रोजगार की सख्त जरूरत में हैं । काम के अधिकार को सबसे पीछे धकेल दिया गया है तथा सरकार का यह वादा था कि छंटनी नहीं की जाएगी और यदि छंटनी हुई तो राष्ट्रीय पुनर्वास कोष उनकी सहायता करेगा महज एक धोखा है और वर्तमान स्थिति में कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा ।

दुर्भाग्यवश इस महिला दिवस के अवसर पर सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में हमारी बहनें भी वैसी स्थितियों का सामना कर रही हैं, जैसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं । सोवियत संघ में महिलाओं को नौकरियों से निकाला जा रहा है । उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है । महिलाओं में नौकरी न करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही हैं । समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं तथा येल्तसिन सरकार द्वारा अमरीकी पद्धति अपनाने के बाद स्थिति और खराब होगी । अब साम्राज्यवाद उनके लिए कोई खतरा नहीं रह गया है । वर्तमान में सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में हमारी बहनें जिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं उनके बावजूद 8 मार्च, 1917 को रूसी क्रान्ति के दिन के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा । हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन वे उठ खड़ी होंगी तथा समाजवादी व्यवस्था की मांग करेंगी जो कि उनकी व सम्पूर्ण मानवता की मुक्ति की एकमात्र राह है ।

8 मार्च के अवसर पर हम, दक्षिण अफ्रीका में ए. एन. सी. की मदद से संघर्षरत अपनी बहनों को सैल्यूट करती हैं, हम चीन, उत्तर कोरिया व विएतनाम की अपनी बहनों को मुबारकबाद देती हैं, जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी स्थिति में सुधार किया है । हमें क्यूबा की अपनी बहनों पर गर्व है जो सबसे बड़ी महाशक्ति अमरिका का निर्भय होकर सामना कर रही हैं तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबन्द लड़ाई के लिए तैयार है ।

आज के दिन हम रोजगार व अन्य सभी क्षेत्रों में समानता के लिए तथा असंगठित क्षेत्र व आंगनवाड़ी महिलाओं के न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष करने की शपथ लेती हैं । हम महिला आयोग व उसके कार्यान्वियन की मांग करेंगी । हम देश को मुद्राकोष व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बचाने की साजिश के खिलाफ तथा देश की स्वाधीनता व आत्मनिर्भरता के लिए मजदूर वर्ग व देश की लोकतांत्रिक जनता के स्वर में स्वर मिलाकर संघर्ष करेंगी ।

'कामकाजी महिला' 8 मार्च के अवसर पर देश भर की महिलाओं को बधाई देती है व नागरिक, महिलाओं व कर्मचारियों के रूप में होने वाले अपने शोषण के खिलाफ संघर्ष की प्रतिज्ञा करती हैं ।

हैदराबाद में आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना व सम्मेलन

आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ, हैदराबाद की ओर से अपनी मांगों के समर्थन में 26-3-1992 को आंध्रप्रदेश विधान सभा के सामने धरना दिया गया। धरने में 11 जिलों की कुल 141 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाओं की लगभग 500 सेविकाओं व सहायिकाओं ने भाग लिया। एस. पुण्यावती (सचिव) तथा श्रीमती माल्लू स्वराजन, अध्यक्ष, आंध्रप्रदेश महिला संगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वित्तमंत्री संतोष रेड्डी से मिला तथा उन्हें एक ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री, बाल व महिला कल्याण मंत्री, सभी विपक्षी विधायकों तथा सम्बद्ध अधिकारियों को ज्ञापन दिये गये। श्रमिक नेताओं व विधायकों ने भी एकत्रित लोगों को सम्बोधित किया। 27-3-92 को प्रथम सम्मेलन हुआ। जिसमें 125 सदस्यों ने भाग लिया। आंध्रप्रदेश सीटू समिति के महासचिव कॉ० एन. प्रसाद राव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

नगर महिला कामगार समन्वय समिति के सदस्यों की एक स्वागत समिति का गठन किया गया था। का. एस. पुण्यावती ने सचिव की रिपोर्ट पेश की। 11 जिलों से आयीं 11 प्रतिनिधियों ने स्थानीय समस्याओं का जिक्र किया तथा यह भी बताया कि यूनियन के गठन से उनको अपनी समस्याएं सुलझाने में किस प्रकार मदद मिली। आंध्रप्रदेश महिला संगम की अध्यक्षा कॉमरेड एम. स्वराजन ने सम्मेलन का अभिनन्दन किया।

महिला व बाल कल्याण मन्त्री श्रीमती जी. कुटूहल्मा ने भी सम्मेलन में भाग लिया व सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे उनकी हर संभव सहायता करेंगी तथा केन्द्र सरकार को कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रु. तथा सहायिकाओं का मानदेय 225 रु. करने के लिए कहेंगी।

एक इक्कीस सदस्यीय नयी समिति गठित की गयी जिसमें 9 पदाधिकारी हैं। का. के हेमलता मानद अध्यक्ष, के. एन. विजयलक्ष्मी अध्यक्ष तथा एस. पुण्यावती महासचिव चुनी गयीं।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। स्थानीय समाचार-पत्रों व हैदराबाद दूरदर्शन ने सम्मेलन काफी प्रचार दिया।

ज्ञापन में निम्न मांगें सम्मिलित हैं :

1. सेविकाओं का मानदेय 600 रु. तथा सहायिकाओं का मानदेय 400 रु. तक बढ़ाने की मांग;

2. चार घण्टे काम का कार्यान्वियन;

3. अनेक बार ऐसा हुआ है कि महीनों तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। अतः मानदेय व अन्य सभी भुगतान पहली तारीख को किए जाएं।

4. ईंधन के लिए राशि 60 रु. से बढ़ाकर 150 रु. कर दी जाये।

5. आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराया गांवों में 25 रु. से 100 रु. तथा शहरों में 100 रु. से बढ़ाकर 200 रु. किया जाये।

6. सभी सेविकाओं व सहायिकाओं के लिए 15 दिन के ग्रीष्मावकाश की घोषणा की जाये।

7. जहां कहीं संभव हो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षक नियुक्त किया जाये।

8. महिला व बाल-कल्याण विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाय।

सम्मेलन में भविष्य के लिए निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए :—

1. महिला व बाल-कल्याण विभाग के निदेशक तक एक पोस्ट-कार्ड प्रचार अभियान चलाया जाये।

2. स्थानीय मुद्दों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाये।

3. विभिन्न परियोजनाओं का विस्तार तथा सदस्यता अभियान को जल्द से जल्द पूरा कर लेना।

4. केन्द्र सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध कार्यक्रमों में हिस्सेदारी।

5. जुलाई 10 व 11 को भारत मांग दिवस मनाया जाये।

इसके अलावा हमारी मन्त्रियों व अन्य अधिकारियों

(शेष पृष्ठ 8 पर)

आई० सी० डी० एस० कर्मी समिति का पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में सम्मेलन

पश्चिम बंग राज्य आई. सी. डी. एस. कर्मी समिति का तीसरा सम्मेलन पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले के डुम्रा ग्राम में हुआ।

सम्मेलन स्थल का नाम कॉ० बी. टी. आर. नगर तथा मंच का नाम विजय पॉल पंच रखा गया। एक स्वागत समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्ष कॉ० बिलाशी शशि (विधायक) थीं।

29 मार्च को 12.00 बजे ध्वजारोहण व शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सम्मेलन आरंभ हुआ। का० निरुपमा चटर्जी ने ध्वजारोहण किया तथा शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया।

इसके बाद अन्य नेताओं व प्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिनिधि सत्र का औपचारिक उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार की मन्त्री का० अन्जुकर ने किया।

स्वागत समिति की अध्यक्षा का० बिलाशी शशि (विधायक) ने अभिनन्दन भाषण दिया। अध्यक्षमंडल, स्टीयरिंग कमेटी तथा क्रेडेंशियल कमेटी रपट सर्वसम्मति से पारित हो गयी। अध्यक्ष मंडल में का० निरुपमा चटर्जी, महारानी कोनार, का० ब्रज गोपाल नियोगी, का० सन्या पियरी महतो, का० वाब्तोश राय तथा का० शिवानी अहमद शामिल थीं।

पन्द्रह जिलों से चुने गये 416 प्रतिनिधियों में से 405 उपस्थित थे। सत्रह जिलों में से दो जिले सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके। कॉ० बी. टी. रणदिवे, का० सरोज मुखर्जी, का० अब्दुल्ला रसूल, का० विजय पॉल, का० गिरिजा पोट्टी तथा अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के निधन पर एक शोक प्रस्ताव रखा गया।

नीलिमा मित्रा, सचिव, ने काम की रपट रखी। रपट पर हुए विचार-विमर्श में 28 सदस्यों ने भाग लिया। कुछ प्रस्ताव रखे गये तथा उन्हें सर्वसम्मति से पारित गया। मूल्य-वृद्धि के खिलाफ तथा आवश्यक वस्तुएं जन वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दरों पर यह मुहैया कराने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, आई. सी. डी. एस. परियोजना के निजीकरण तथा निरक्षता के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किये गये।

सीटू जिला समिति के सचिव, निखिल मुखर्जी ने सम्मेलन का अभिनन्दन किया। 29 तारीख को 4 बजे फुटबाल ग्राउंड में खुला अधिवेशन आरंभ हुआ। इसमें लगभग 8000 लोग शामिल हुए। अधिवेशन की अध्यक्षता का. निरुपमा चटर्जी ने की। जाने माने किसान नेता कॉ. मनिन्द्र गोप ने सम्मेलन का अभिनन्दन किया। कॉ. नीलिमा मित्रा ने उन कठिनाइयों का जिक्र किया जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य के नागरिकों के लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने उनके संघर्षों व उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार उन्हें न्यूनतम वेतन से वंचित रखा गया है।

खुला अधिवेशन 7.00 बजे समाप्त हुआ। उसके बाद प्रतिनिधि सत्र आरंभ हुआ जो रात 9.00 बजे तक चला। अगले दिन प्रातः 8.30 पर पुनः अधिवेशन की शुरूआत हुई तथा वह 3.30 बजे तक चला।

सम्मेलन में एक 52 सदस्यीय समिति चुनी गयी। राज्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से कॉ. निरुपमा चटर्जी को सचिव तथा कॉ. नीलिमा मित्रा को अध्यक्ष चुना गया।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

आई. सी. डी. एस. ऐसोसियेशन का दूसरा राज्य सम्मेलन 1-2 फरवरी 1992 को पांडिचेरी में संपन्न

सी. एच. बालामोहन, अध्यक्ष

पांडिचेरी स्टेट आंगनवाड़ी स्टाफ ऐसोसियेशन का दूसरा राज्य सम्मेलन 1-2 फरवरी 1992 को पांडिचेरी में सम्पन्न हुआ। पहले दिन प्रतिनिधि-सत्र था तथा दूसरे दिन खुला अधिवेशन हुआ। सम्मेलन का आरंभ कॉन्फ़ेडरेशन कार्यालय (सम्मेलन स्थल) के समक्ष ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्ज एण्ड हैल्पर्स फ़ेडरेशन तथा कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ पांडिचेरी स्टेट गवर्मेंट एम्प्लॉईज ऐसोसियेशन, पांडिचेरी के ध्वजारोहरण से हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात् पांडिचेरी व कराइकल की पांच परियोजनाओं से चुने गये 100 प्रतिनिधियों (80 कार्यकत्ता व 20 सहायिकाएं) ने प्रवेश द्वार पर स्थित शहीद वेदी पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी सदस्यों ने हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण किया। सम्मेलन का उद्घाटन के. मुरुगन (एन. एफ. टी. ई.) ने किया। वे फोरम ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवरमेंट एण्ड पब्लिक सैक्टर एम्प्लॉईज, पांडिचेरी के पूर्व-महासचिव हैं। प्रतिनिधि सत्र का संचालन एक अध्यक्ष मंडल ने किया जिसमें कॉ. एस. विजयलक्ष्मी (राज्य अध्यक्ष), वी. एस. सेल्वामेथी, तृतीय परियोजना शाखा की अध्यक्षा, कॉ. उषा, अध्यक्ष, द्वितीय परियोजना (कराइकल), कॉ. पी. विक्टोरिया, सचिव द्वितीय परियोजना (कराइकल) शामिल थीं। अध्यक्षमंडल ने सदस्यों व प्रमुख आतिथि का स्वागत किया।

ऐसोसिएशन की सचिव कॉ. पी. शशिकला ने कार्य की रिपोर्ट रखी जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, अगस्त 1985 में हुए पिछले सम्मेलन के बाद के ऐतिहासिक घटनाक्रम, तब से हासिल की गयी मांगें व उनके माध्यम से प्राप्त अनुभवों ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्ज एण्ड हैल्पर्स फेडरेशन का आन्दोलन अखिल भारतीय आन्दोलन में ऐसोसिएशन की भूमिका व भविष्य के कामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी थी। सदस्यों ने उक्त रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया तथा कुछ संशोधनों के साथ उसे पारित कर दिया। ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा अपने उदयपुर में हुये पहले सम्मेलन में रखी मांगों को तुरन्त माने जाने संबंधी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हो गये। इन मांगों में सेवाओं को नियमित करना आवश्यक वस्तुओं के वितरण, आई. सी. डी. एस. योजना हाथों में देने का विरोध तथा अन्य स्थानीय मांगें शामिल थीं। सम्मेलन में 5-3-92 के गिरफ्तारी देने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिये प्रतिनिधि भेजने का भी फैसला लिया गया। सम्मेलन में राज्य पदाधिकारी भी चुने गये।

ऐसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, कॉ. एस. थियालगम ने रिपोर्ट प्रस्तुत किये जिन्हें पारित कर दिया गया। कॉ. एम. एल. जयसिंह, महासचिव, फेडरेशन ऑफ गवरमेंट एम्प्लॉईज ऐसोसिएशन, कराइकल, एस. सुधा सुन्दररमन, वर्किंग वोमेन्स काउंसिल, पांडिचेरी, आर. आनन्दराजन, परिसंघ के उपाध्यक्ष, एन. शनमुगम, अध्यक्ष टीचर्स ऐसोसिएशन तथा पांडिचेरी म्यूनिसिपल एण्ड कम्यून पंचायत एम्प्लॉज कन्फेडरेशन के अध्यक्ष पी. शकरन ने सदस्यों का अभिनन्दन किया। पांचवीं परियोजना शाखा की सचिव कॉ. सावित्री ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। उसके साथ ही प्रात: 10.00 बजे आरम्भ हुआ अधिवेशन शाम 6.00 बजे समाप्त हो गया।

11.00 बजे खुले अधिवेशन का आरंभ हुआ। कॉ. एस. विजयलक्ष्मी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। स्वागत समिति के चेयरमैन तथा मानद अध्यक्ष कॉ. सी. एच. बालमोहनन ने सदस्यों का स्वागत किया। बिरादराना संगठन, तमिलनाडु न्यूट्रिशियस मील्स एंप्लॉईज एसोसिएशन के प्रेक्षकों के अतिरिक्त 800 आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने खुले अधिवेशन में भाग लिया। तमिलनाडु न्यूट्रिशियस मील्स एम्प्लॉईज ऐसोसिएशन के अध्यक्ष कॉ एम. पजानिलिथन ने खुले अधिवेशन का उद्घाटन किया जिसमें समाज कल्याण

निदेशक कॉ. के. देवासिघमानी तथा कॉन्फेडरेशन ऑफ पांडिचेरी स्टेट गवरमैंट एम्प्लॉईज की महासचिव ने भाग लिया। अन्य वक्ताओं के अतिरिक्त ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्ज एण्ड हैल्पर्स की अध्यक्षा कॉ. विमल रणदिवे ने प्रमुख भाषण दिया। अन्य वक्ताओं में तमिलनाडु गवर्मेंट एम्प्लॉईज ऐसोसियेशन के सचिव निजार अदमद थे। कॉ. विमल रणदिवे का भाषण सबसे अधिक प्रेरणादायक व उत्साहवर्द्धक था। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं के समर्थन में संयुक्त संघर्ष समिति के आन्दोलन के बारे में भी बताया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिये आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं को भी उसमें शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि आई. सी. डी. एस. के निजीकरण की सरकारी योजनाओं के खिलाफ तथा सेवाओं को नियमित कराने व वेतन बढ़ाने के लिये संघर्ष की तैयारी की जा सके। कॉ. निजार अहमद ने भी सरकारी नीतियों पर विस्तार से बात की तथा आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं से अपील की कि वे मानदेय के नाम पर आई. सी. डी. एफ. कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करें।

समाज कल्याण निदेशक, श्री एस. सुन्दरावादिलू ने सम्मेलन का अभिनन्दन करते हुये मन्त्री महोदय की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठायेंगे तथा जिन मसलों का स्थानीय आधार पर हो सकता है उनका समाधान किया जायेगा। 3.00 बजे सायं खुला अधिवेशन समाप्त हुआ। कॉ. वी. एस. सेल्वामेथी, राज्य उपाध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद दिया। सदस्यों ने अपने संगठनों व अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाये।

(पृष्ठ 5 का शेष)

से बातचीत हुई। उनका कहना है कि उन्हें केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही चलना पड़ता है। अतः मैंने महसूस किया कि अपनी इन मांगों को पूरा करवाने के लिए हमें केन्द्रीय महिला व बाल-कल्याण मंत्री पर दबाव डालना चाहिए।

हमने सभी जिलों में अपनी कक्षाएं करने का फैसला किया।

फार्म 4

1.	प्रकाशन का संस्थान	: 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	मुद्रक का नाम	: विमल रणदिवे
	(क्या भारत का नागरिक है ?)	: हां
	पता	: 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
4.	प्रकाशक का नाम	: विमल रणदिवे
	(क्या भारत का नागरिक है ?)	: हां
	पता	: 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
5.	सम्पादक का नाम	: विमल रणदिवे
	(क्या भारत का नागरिक है ?)	: हां
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	: सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं, **विमल रणदिवे** एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

ह०/-
विमल रणदिवे
प्रकाशक

दिनांक : 31 मार्च, 1992

चीन, क्यूबा तथा नेपाल की बिरादराना महिला साथियों से उनके देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात-चीत

[जनवरी 1992 में माकपा की पार्टी कांग्रेस के अवसर पर हमारी मद्रास की कामरेडों ने चीन, क्यूबा तथा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों की प्रतिनिधियों से बातचीत की। हमारी 'आइड्वा' की साथी ने उनका इंटरव्यू लिया। इस बातचीत में सदस्यों ने अपने यहाँ महिलाओं की स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। कामकाजी महिलाओं की ओर से सीटू इन प्रतिनिधियों तथा इंटरव्यू लेने वाली साथियों को धन्यवाद देती है।—सं.]

ए आई डी डब्ल्यू ए (आइड्वा), तमिलनाडु की सहायक सचिव, बासुकि ने कॉ. वांग फेंगयिंग व कॉ. चेन शुकिन से बातचीत की।

प्र. 1—ऑल चाइना वोमेन्स फेडरेशन के क्या-क्या कार्य हैं?

उत्तर—हमारा प्रमुख कार्य राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा करना है।

प्र. 2—चीन में महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तर—हमारी सबसे बड़ी समस्या निरक्षरता है। कुल 110 करोड़ जनसंख्या में से 20 करोड़ अभी भी निरक्षर हैं। इनमें 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। महिला-बेरोजगारी दूसरी प्रमुख समस्या है। हालांकि 18 से 50 वर्ष की उम्र की 80 प्रतिशत महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं लेकिन शेष 20 प्रतिशत महिलाओं के लिए अवसर न होना हमारी एक बड़ी समस्या है। कुछ इकाइयां अपनी फैक्ट्रियों में महिलाओं को काम पर रखना पसन्द नहीं करतीं। इसका कारण देश के कुछ भागों में महिलाओं को निम्न समझने की परंपरा का अभी तक कायम रहना है।

प्र. 3—1980 के दशक में जिस सादगी की बात की जाती थी वह अब नदारत है। ऐसा प्रतीत होता है कि युवतियों में फैशनेबुल कपड़ों और श्रृंगार-प्रसाधनों का काफी चाव है। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन इससे इस बात का खतरा जरूर है कि भविष्य में महिलाओं को सेक्स के साधन तथा सजावट की वस्तु की तरह देखा जाने लगा, जैसा कि पश्चिम में हो रहा है।

(क्या ए सी डब्ल्यू एफ इस ओर सचेत है? यदि हां तो उसकी उस स्थिति से निबटने के लिए क्या योजना है?)

उत्तर—खूबसूरत दिखने की चेष्टा करना क्या है? लोगों के जीवन-स्तर में सुधार तथा आर्थिक विकास के साथ-साथ लोगों का आरामप्रिय तथा फेशनेबुल होना स्वाभाविक है।

खूबसूरत दिखना तथा फेशनेबुल होना देश के लिए कठोर मेहनत करने का विरोधी नहीं है।

जीवन-यापन में सादगी पर आज भी बल दिया जाता हमें लोगों की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जैसा कि सांस्कृतिक क्रांति के समय किया गया था। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। लेकिन हमें बुर्जुआ जीवन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम इस बारे में सचेत हैं।

प्र. 4—क्या महिलाओं व पुरुषों के बीच श्रम विभाजन की कोई व्यवस्था है? यदि ऐसा है तो उसका आधार क्या है?

उत्तर—हां, शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर श्रम विभाजन की व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पर हल्के उद्योगों, सर्विस उद्योगों, अध्यापन, चिकित्सकीय सेवाओं तथा कपड़ा उद्योगों में महिलाएं बड़ी संख्या में कार्य कर रही हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी महिलाएं कार्यरत हैं। किंडरगार्टन नर्सरी में लगभग सभी महिलाएं हैं। लेकिन भारी उद्योगों में, खम्बों पर चढ़ने तथा खनन व्यवसाय आदि में महिलाओं के काम करने पर रोक है।

कुल 40 मंत्रियों में से 14 महिलाएं हैं। 13 महिलाएं राज्यों के राज्यपालों के रूप में काम कर रही हैं। पार्टी की केन्द्रीय समिति के 285 सदस्यों में से 22 महिलाएं हैं। अनेक महिलाएं सचिव तथा क्षेत्रीय प्रमुख के रूप

में कार्य कर रही हैं।

प्र. 5—घरेलू कामों में पुरुष किस हद तक हाथ बंटाते हैं ?

उत्तर—अन्य देशों के मुकाबले चीन में समानता अधिक स्वाभाविक है। अधिकतर पति-पत्नी दोनों ही काम कर रहे हैं। इसलिए घर के काम भी दोनों ही मिलकर करते हैं। आमतौर पर घर के भारी काम जैसे जैसे सफाई व खरीदारी आदि पुरुष ही करते हैं। खाना बनाना व बच्चों की देखभाल आदि काम महिलाएं करती हैं।

प्रश्न 6. तो आपका मानना है कि बच्चों की देखभाल करना आसान काम है ?

उत्तर—(हंसते हुए) नहीं । पुरुष भी उसमें सहायता करते हैं।

प्र. 7—आपके साथ क्या स्थिति है कॉमरेड ?

उत्तर—मेरे पति चाइनीज एकेडेमी ऑफ सोशल साइंसेज नामक एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में प्रोफेसर हैं। अपने काम से घर लौटने के बाद घर के सभी कामों में हाथ बंटाते हैं जिनमें बिस्तर लगाना भी शामिल है। मैं घर आकर केवल खाना बनाती हूँ। कभी कभी वे खाना खरीद लेते हैं व उसे तैयार रखते हैं।

चूंकि चीन में पुरुषों व महिलाओं में आर्थिक समानता प्राप्त है अतः वही समानता परिवार में भी झलकती है।

प्र. 8—यदि दोनों ही अभिभावक नौकरीपेशा हैं तो बच्चे कहाँ रहेंगे ?

उत्तर—अधिकतर परिवारों में दादा-दादी भी हैं अतः वे बच्चों का खयाल रखते हैं। ऐसी अनेक नर्सरी भी हैं जो बच्चों को शाम तक रखती हैं। इसके बाद जिन परिवारों में दादा-दादी नहीं हैं वहाँ बच्चों की देखभाल सामुदायिक प्रबंध से होती है। इनमें सेवानिवृत लोग शामिल होते हैं।

प्र. 9—क्या बालिका वध के उदाहरण अब भी आम हैं ? राज्य और ए.सी. डब्ल्यू. एफ इस प्रथा से लड़ रहे हैं।

उत्तर—हम यह तो नहीं कह सकते कि यह बात बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसी घटनाएं काफी कम होती हैं और जो होती हैं वे भी दूर-दराज के ही इलाकों में होती हैं।

जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भेद-भाव बरकरार है, लेकिन ये चीनी कानून का उल्लंघन है जिसके लिए कड़ी सजा रखी गयी है।

प्र. 10—सरकार को इसके बारे में पता कैसे चलेगा ?

उत्तर—चीन में सरकार हर स्तर पर उपस्थित है। यदि सरकारी अधिकारियों को जानकारी नहीं भी होगी तो पड़ोसी इसकी सूचना दे देंगे। सैंकड़ों सालों के बुर्जुआवाद अपने प्रभाव छोड़े हैं, अतः सजा के साथ ही साथ हम लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं।

प्र. 11—हम जानते हैं कि भारत के विपरीत चीन में वर पक्ष वधु पक्ष को धन देता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी ?

उत्तर—हाँ वर पक्ष, वधू पक्ष के जीवन स्तर के हिसाब से धन देता है। पहले लोग साइकिल आदि मांगते थे (हंसते हुए) अब रंगीन टेलिविजन मांग रहे हैं।

प्र. 12—यह भारतीय दहेज प्रथा से भिन्न है। लेकिन यह भी उसी तरह की प्रथा है। क्या आपको नहीं लगता कि यह भी एक बुरी प्रथा है ? क्या यह लड़कियों को बेचने के समान नहीं है ?

उत्तर—आप ठीक कहती हैं। हम शादी-ब्याह में सादगी बरतने के बारे में सतत् रूप से प्रचार करते रहते हैं। अब पार्टी का युवा समुदाय इस बारे में आगे आ रहा है तथा सदस्यों से अपील कर रहा है कि वे वधू मूल्य न दें न लें।

प्र. 13—आपके यहाँ शादियाँ किस प्रकार होती हैं ?

उत्तर—दोनों पक्षों के माता-पिता को भोज पर आमंत्रित किया जाता है। वर-वधू के लिए नये कपड़े व नये परिवार के लिए आवश्यक फर्नीचर तैयार किया जाता है।

प्र. 14—क्या आप लोग शादियों का पंजीकरण नहीं करते ?

उत्तर—(आश्चर्य से) बेशक ! यह तो सबसे पहली बात है। विवाह का पंजीकरण आवश्यक है।

प्र. 15—क्या प्रमुख शहरों में वेश्यावृत्ति होती है ?

उत्तर—क्रान्ति के बाद वेश्यावृत्ति पूरी तरह समाप्त कर दी गयी थी लेकिन अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने पर, विदेशी तकनीक व पूंजी के आगमन के साथ-साथ बुर्जुआ विचारधारा का भी देश में प्रवेश हुआ तथा कुछ महिलाएं उस जाल में फंस गयीं। लेकिन इस पर कानूनी

पाबंदी है। वेश्यवृत्ति के बहुत कम उदाहरण मिलेंगे, वे भी छिपे तौर पर। वेश्यावृत्ति के लिए अत्यंत कड़ी सजा है।

प्र० 16—क्या तलाक की इजाजत है? किस आधार पर?

उत्तर—हमारे यहां विवाह तथा तलाक की बराबर स्वतंत्रता है। इसका आधार ऐसा कोई भी कारण हो सकता है जो विसंगति को जन्म देता हो। लेकिन चीन में विवाह स्थायी होते हैं तथा यहां तलाक दर केवल 1.1 प्रतिशत है, जो विश्व में सबसे कम है।

प्र० 17—बच्चों की देखभाल के बारे में··?

उत्तर—इसका फैसला दोनों पक्षों की राय जानने के के बाद किया जाता है। बच्चों की इच्छा को भी ध्यान रखा जाता है। यदि बच्चे माँ के साथ हैं तो उनके 18 वर्ष के होने तक पिता को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।

प्र० 18—क्या वहां फैक्ट्री स्तर पर महिलाओं की समितियां है?

उत्तर—हां हमारे यहां सभी स्तरों पर ऐसी समितियां हैं। यदि महिला कर्मचारियों की कोई समस्या होती है तो वे इन समितियों को उनके बारे में बता सकती हैं।

ट्रेड यूनियन कानून के अनुसार नेतृत्व में कम से कम एक महिला प्रतिनिधि का होना आवश्यक है।

क्यूबा : कॉ० जुआन कौन्टिनो असलम
(केन्द्रीय समिति की सदस्या)

क्यूबा की क्रान्ति की प्रमुख उपलब्धियों में से एक यह है कि महिलाओं को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो गये हैं। वास्तव में शुरू में इसे "महिलाओं की क्रान्ति" नाम दिया गया था। रोजगार व शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्राप्त हैं।

प्रोफेशनल उद्यमियों में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। अनेक महिला वैज्ञानिक हैं। क्यूबा ने एन्टि-मेनिंजाइटिस टीके का विकास किया है जो किसी अन्य देश के पास नहीं है। जिस दल ने यह कार्य किया उसका नेतृत्व एक महिला ने किया था।

क्यूबा में बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था है। सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा मुफ्त है। इस जन-स्वास्थ्य व्यवस्था में अनेक महिलाएं कार्यरत हैं। महिलाएं सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं जिनमें सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है।

पोलियो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महिलाएं राजनीति में रुचि ले रही हैं। अनेक महिलाएं नगर प्रमुख तथा राज्य प्रमुख हैं। कुछ महिला मंत्री भी हैं।

पार्टी के पोलित ब्यूरो के प्रत्येक 25 सदस्यों में से एक महिला है।

फेडरेशन आफ क्यूबन वोमेन ने अपने 31 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका आधार ग्रासरूट स्तर तक है। यह संगठन महिलाओं को संगठित करता है। विशेषकर किसान महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया जाता है।

शिशु मृत्यु दर 10.7 प्रति हजार है जबकि लैटिन अमरीका में दर 55 है।

पुरुष व महिला (दोनों) की औसत आयु 75.2 वर्ष है जबकि लैटिन अमरीका में यह 64 है।

9वीं के स्तर तक शिक्षा मुफ्त है। निरक्षरता नहीं है। बेरोजगारी नहीं है। यदि कोई फैक्ट्री बन्द भी हो जाती है तो मजदूरों को दूसरी फैक्ट्री में काम दिया जाता है। कभी-कभी 60 प्रतिशत वेतन पर अस्थायी रोजगार भी प्रदान किया जाता है।

कॉ० हिल्डा से बात-चीत
(सी. सी. विदेश विभाग की अधिकारी)

प्र० 1—क्या अभी भी घरेलू काम को महिलाओं की जिम्मेदारी समझा जाता है?

उत्तर—क्रान्ति के बाद, पिछले तीस वर्षों में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन घरेलू का प्रश्न परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि दोनों ही कामकाजी हैं तो घरेलू काम कुछ हद तक आपस में बंट जाता है।

लेकिन हाल ही में हमारी सरकार ने विवाह-शपथ में इस प्रकार की बातें शामिल की हैं कि अन्य कामों के अलावा घरेलू काम को भी आपस में बांटा जाये।

प्र०—हमें अपने देश में विवाह तथा तलाक की व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं।

उत्तर—हम खूब विवाह करते और खूब तलाक लेते हैं। (हंसते हुए) इसका प्रमुख कारण युवाओं की अपरिपक्वता है। वे इस बात को नहीं समझते कि यह एक गंभीर मामला है। जिस प्रकार वे पहली नजर के प्यार' के कारण शादी करते हैं (हंसते हुए) उसी प्रकार थोड़ी सी निराशा पर तलाक ले लेते हैं। हम उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

विवाह के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है। यदि अभिभावक चाहें तो इससे पहले भी विवाह हो सकता है।

प्र०—न्यूनतम आयु 16 वर्ष है? यह तो बहुत जल्दी है।

उत्तर—आप ठीक कहती हैं। लेकिन आमतौर पर लोग 18 वर्ष के बाद ही विवाह करते हैं, क्योंकि विवाह-पूर्व-सेक्स की इजाजत होने के कारण वहां लोगों को विवाह की जल्दी नहीं होती।

प्र०—बच्चों के संरक्षण व देखभाल के बारे में क्या व्यवस्था है?

उत्तर—संरक्षण के प्रश्न पर आमतौर पर मां को प्राथमिकता दी जाती है, यदि वह ऐसी हालत में है कि बच्चे का ध्यान रख सके। पिता को मिलते रहने का अधिकार होगा।

मां के संरक्षण में रहने वाले बच्चों की संख्या के अनुसार पिता उसे देखभाल की राशि देगा। यदि पिता ऐसा नहीं करता है उसके खिलाफ शिकायत आती है और वह शिकायत सही पायी जाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जायेगा।

यदि पत्नी बा-रोजगार नहीं है तो पति उसे एक वर्ष तक आवश्यक धनराशि देगा। इस बीच रोजगार प्राप्त करने में उसकी मदद की जा सकती है।

प्र० 5—क्या वहां बलात्कार व महिलाओं को पीटने की घटनाएं घटती हैं?

उत्तर—एक क्यूबाई पुरुष बर्तन साफ नहीं कर सकता। लेकिन वह कभी अपनी पत्नी को पीटेगा नहीं और बलात्कार·· यह तो सुनने में भी नहीं आता।

कॉ० शहाना प्रधान

(यू० सी० पी० नेपाल की पोलित ब्यूरो सदस्या)

प्र० 1—राजा के शासन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? क्या उसमें कोई सुधार हुआ है?

उत्तर—महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह आज भी वैसी ही है, जैसी राजा के शासन काल में थी।

जमींदारी व एकाधिकार के रूप में नेपाल में सामंतवाद की जड़ें गहरी जमी हुई हैं। नेपाल अभी भी एक अर्ध-सामंतवादी तथा अर्ध-उपनिवेशवादी देश है। चुनी हुई सरकार के गठन के एक वर्ष के भीतर ही सारी व्यवस्था को बदल देना संभव नहीं है।

महिलाएं स्वयं पुरुषों को अपना स्वामी समझती हैं। वे समझती हैं कि उन्हें पति की सेवा करनी चाहिये। महिलाओं की अपनी कोई पहचान नहीं है। लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है।

कामकाजी महिलाएं भी अपने पतियों, पिताओं व भाइयों की सेवा करती हैं।

भारत के ही समान कामकाजी महिलाओं को घर और दफ्तर में दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।

संयुक्त परिवारों में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। वे पूरा काम करती हैं। उन्हें कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिये। बड़ों के सामने (श्वसुर व जेठ) उन्हें साड़ी से सिर ढकना चाहिये। उनकी कोई बात नहीं पूछी जाती। केवल पुरुषों का ही शासन है। लेकिन ऐसे परिवारों में जहां केवल पति पत्नी रह रहे हैं, वे पति की इच्छाओं के आधार पर एक आपसी समझ कायम कर सकती हैं।

प्र० 2—नेपाल में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है?

उत्तर—नेपाल एक कृषि प्रधान देश है। महिलाएं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। लेकिन चूंकि वे हल चलाने जैसे भारी काम नहीं करतीं, इसलिए उनके कार्य को महत्व नहीं मिलता।

केवल यही नहीं। जमींदारों के अनुसार वे "काम के समय बच्चों को भोजन कराने व गप्पें मारने में बहुत समय नष्ट करती हैं।" अतः उन्हें पुरुषों की तुलना में आधा वेतन भी नहीं मिलता।

प्रश्न 4—क्या यू.सी.पी. कृषक महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है?

उत्तर—हम समान वेतन तथा महिलाओं को क्रैच की सुविधाओं के साथ बच्चों को दूध पिलाने के लिए अवकाश हेतु संघर्ष की योजना बना रहे हैं।

बहुत सी महिलाएं काम के समय बच्चों को दूध

पिलाने से बचने के लिए उन्हें 'अग्नि कुना' नामक दवा देती है। यहां दवा हालांकि पाचन को सुधारती है लेकिन इससे बच्चे सो जाते हैं; कई बार वे यह दवा कुछ अधिक मात्रा में दे देती हैं जिससे बच्चे काम समाप्त होने के समय तक सोते रहते हैं। यह हानिकारक है व इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अतः पार्टी, बच्चों को यह दवा न देने के बारे में महिलाओं को शिक्षित कर रही है।

प्र० 5—लड़कियों की शिक्षा की क्या स्थिति है? क्या लड़कों की तुलना में उनके साथ भेद-भाव बरता जाता है?

उत्तर—बेशक शिक्षा के मामले में लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव बरता जाता है। यदि लड़कियाँ इंजीनियरिंग व इलैक्ट्रॉनिक्स जैसे विषय चुनती हैं तो लोगों की नजरें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उनका विचार है कि लड़कियों को गृह-विज्ञान जैसे विषय पढ़ने चाहियें।

यदि लड़कियाँ चिकित्सा संबंधी विषय लेती हैं तो भी उन्हें केवल महिला रोग विशेषज्ञ बनने की ही अनुमति होती है।

प्र. 6—कम्पनियों व दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं की क्या स्थिति है?

उत्तर—नेपाल में प्रायः महिलाओं के चार या पांच बच्चे होते हैं। (दो बच्चों का उदाहरण बहुत कम देखने में आता है) उन्हें प्रायः गर्भावस्था अवकाश देना पड़ता है। उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए काफी छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं। इसके कारण अधिकारी महिला कर्मचारियों को रखना पसन्द नहीं करते। यदि उन्हें रोजगार मिल भी जाता है तो भी उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है।

प्र. 7—क्या रोजगार में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण होता है?

उत्तर—नहीं। हम उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। अधिकारिक रूप से मालिक रोजगार में महिलाओं को प्रोत्साहन देने की बात कहते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है।

प्र. 8—क्या महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार है?

उत्तर—आमतौर पर महिलाओं को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता।

वहाँ अनेक जातीय गुट हैं। सबमें दहेज प्रथा प्रचलित है। कुछ वर्गों में यह स्त्री की संपत्ति समझी जाती है जबकि कुछ में उसको परिवार में बांटा जाता है। इसमें फर्नीचर भी शामिल होता है। लेकिन इस संपत्ति को पति के नाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्र. 9—क्या आप नेपाल में चुनावों तथा उनमें महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ बताएंगी?

उत्तर—इस चुनाव में जितनी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया उससे संयुक्त राष्ट्र संघ भी आश्चर्य चकित है। महिलाएं भारी संख्या में वोट डालने आयीं व 7.00 प्रातः के पहले ही मतदान कर गयीं। उन्होंने इसे एक त्यौहार के रूप में ग्रहण किया।

प्र. 10—महिला मतदाताओं का प्रतिशत क्या है?

उत्तर—महिला मतदाता 50% हैं। जबकि पुरुषों का प्रतिशत इससे कुछ कम है।

प्र. 11—चुनाव में कितनी महिलाएं खड़ी हुई थीं, व उनमें से कितनी जीतीं।

उत्तर—89 महिला उम्मीदवार चुनाव में खड़ी हुईं। इनमें से 39 यू. सी. पी. (नेपाल) से थीं।

7 महिलाएं चुनाव में बिजयी हुईं। इनमें से 5 नेपाली कांग्रेस से तथा 2 यू. सी. पी. (नेपाल) से थीं।

प्र. 12—क्या महिला प्रत्याशियों के लिए कड़ा मुकाबला था।

उत्तर—हाँ, पुरुषों को महिला उम्मीदवारों को मत देने में झिझक लग रही थी। अन्य पार्टियों ने भी महिलाओं को हराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने यह भी प्रचार किया कि महिलाएं जनता की सेवा नहीं कर सकतीं। लेकिन हमारी पार्टी महिला प्रत्याशियों को प्रोत्साहन देती है।

प्र. 13 – क्या महिलाओं के कल्याण के लिए संविधान में कोई सामाजिक प्रावधान है?

उत्तर—संविधान कहता है कि हर पार्टी से 5% महिला प्रत्याशी होनी चाहिये। हमारा मानना है कि यह बहुत कम है तथा हम संख्या को बढ़ाकर कम से कम 15 प्रतिशत करवाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

इतिहास के पन्नों से

जब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया तब यह केवल कोई एक सभा से सेमीनार करने की बात नहीं थी। उन्हें पुलिस व सेंसर से बचने के लिए अनेक तरीकों से संघर्ष करना था। जार शासन में रूस में महिलाओं की स्थिति विकट थी। हम यहां पहले महिला दिवस के बारे में एक रिपोर्ट का अंश प्रकाशित कर रहे हैं :

फरवरी-1913

पूरे फरवरी माह में रूस में महिलाओं की गैरकानूनी सभाएं हुई। सेंट पीटर्सबर्ग में महिला दिवस की बैठक के लिए 'महिलाओं के प्रश्नों पर एक वैज्ञानिक सुबह' नाम पर टिकट बेचे गये। संसद में समाजवादी दबाव के कारण इस दिन को महिला दिवस के रूप में मान्यता दे दी गयी।

8 मार्च की सुबह पुलिस ने बैठक हॉल को घेर लिया तथा पहली पंक्ति में भी पुलिस वाले ही आ डटे।

सभी महिलाओं ने अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हुए थे तथा इस बीच पहली वक्ता घबराते हुए मंच पर आयीं। बहुत-सी महिलाएं अपने विचार व्यक्त करने में झिझक रही थीं, उन्होंने कहा कि "हमारे मालिक हमारा दमन करते हैं व हमें अपने साथ सोने पर मजबूर करते हैं। हमसे समानता की बात कैसे कही जा सकती है।"

वक्ताओं में से एक ऐलेक्जेड्रा एलेक्जायेवा थीं। उन्होंने अपने अनुभवों में लिखा—"मैंने पहली पंक्ति में पुलिस वालों को देखा और उनके पीछे महिलाओं का समुद्र मेरी ओर देख रहा था। मैंने अपनी नोटबुक एक ओर रख दी उद्योगों के अपने अनुभवों के बारे में बात करने लगी। अन्त में मैंने महिलाओं से बेहतर जीवन के लिए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की अपील की।" बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। उस रात मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

उस रात अनेक महिलायें गिरफ्तार हुईं। अगले दिन मॉस्को में महिलाओं की रैली में पुलिस टूट पड़ी। इसके बावजूद महिलायें 'सोशलिस्ट इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट ऑफ वर्किंग वोमेन के लिए बधाई संदेश भेजने में कामयाब हो गयीं।

हमें अपने संघर्ष को ऐसी ही बलिदान की भावना व पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ाना चाहिए।

78 दिन की ग्राम हड़ताल में बिहार की कामगार महिलाओं की शानदार सफलता

सरिता सिन्हा

19 नवम्बर 1991 को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में आरंभ हुई बिहार की 6 लाख अराजपत्रित महिला उद्यमियों की हड़ताल शानदार विजय के रूप में 5 जनवरी-फरवरी 1992 को हुए समझौते के रूप में समाप्त हुई। हड़ताली कर्मचारियों में बड़ी संख्या में प्रसव सेविका, नर्सें, ग्राम सेविकाएं व आंगनबाड़ी कर्मचारी शामिल थीं। उल्लेखनीन है कि महिलाओं के ये तबके हमेशा संघर्ष में आगे रहीं हैं। बिहार सरकार की ओर से मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव तथा कर्मचारियों की ओर से कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ कि उपर्युक्त महिला कामगारों को प्रतिमाह दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। प्रसविकाओं में अब तक 3 रु. प्रति जन्म मिलते थे अब उन्हें 1.4.91 से 100/- प्रति माह मिला करेंगे। यह राशि उन्हें पहले से मिल रही राशि के अतिरिक्त मिलेगी। अब यह राशि नियमित रूप से दी जायेगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी।

बिहार में 60,000 प्रसविकाएं है जो हरिजन हैं तथा जिन्हें प्रति शिशु जन्म 3 रु. मिलते थे। इन महिलाओं को 1990 तक श्रम कल्याण विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जाता था। इनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। ये ग्रामीण महिलाएं हैं। कई वर्षों से इन महिलाओं की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संघर्ष के फलस्वरूप अपनी दो मांगों (दो दिन का अवकाश तथा प्रसविकाओं के लिए 100/- प्रतिमाह) की मांग मनवाकर उन्होंने जबर्दस्त सफलता हासिल की है। हालांकि इस महंगाई के जमाने में 100 की कीमत बहुत कम है। उन्हें अपने को सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित कराने के लिए संघर्ष जारी रखना होगा।

टी. यू. आई. ए. एफ. पी. डब्ल्यू. द्वारा 8 मार्च पर बधाई

8 मार्च के अवसर पर ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फरेस्ट्री, प्लांटेशन वर्कर्स सचिव मंडल सभी महिलाओं, विशेषकर कृषि उद्योग में कार्यरत महिलाओं को बधाई सन्देश भेजता है।

हम इस अवसर पर आपको अपनी शुभकामनाएं व बधाई देतीं हैं।

8 मार्च विश्व भर में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।

टी. यू. आई. ए. एफ. पी. डब्ल्यू. इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि मानवता के उत्थान में महिलाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

वर्तमान कठिन परिस्थितियों में हम पुनः इस बात पर बल देना चाहते हैं कि अनेक प्रकार के भेदभावों तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक स्तर पर असमानता के खिलाफ महिलाओं का संघर्ष और कठिन होता जा रहा है।

हम महिलाओं की गहरी जागरूकता व निम्न मुद्दों पर संघर्ष में उनकी सक्रियता से बेहद प्रभावित हैं।

—शोषण, गरीबी, बेरोजगारी व जीवन स्थितियों का बिगड़ना।

—उचित वेतन।

—भूमि के अधिकार व लोकतांत्रिक सुधारों की प्रक्रिया।

—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व उसकी सहयोगी कंपनियों की नीति के खिलाफ।

—श्रम अधिकारों के लिये।

—मानवाधिकारों के पालन के लिए।

—लोकतंत्र, स्वाधीनता व समाजवाद के लिये।

—अधिक सक्रिय ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए।

—अपनी मांगों के लिए किए जाने वाले संघर्षों में विजय के लिए।

हम शान्ति तथा मानवता के अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे।

हम पृथ्वी की सुरक्षा के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे।

महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अमर रहे।

राउरकेला में पत्नी की हत्या

'आइद्वा' की उड़ीसा राज्य समिति की अध्यक्षा कॉ० कल्याणी दास ने राउरकेला (उड़ीसा) के अतिरिक्त जिला न्यायधीश को यह पत्र भेजा जिसमें श्रीमती शर्मा की उनके पति श्री जगदीश शर्मा द्वारा हत्या कर दी गयी है। इस पत्र से श्रीमती शर्मा के त्रासदायक मृत्यु के बारे में पता चलता है।

प्रति,
अतिरिक्त जिला न्यायधीश,
राउरकेला

ज्ञापन

हम ऑल इंडिया डैमोक्रेटिक वोमेन्स ऐसोसिएशन की ओर से आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर खींचना चाहते हैं:

12 फरवरी 1992 को लगभग 12.30 बजे, हरि प्रधान कालोनी, पावर हाउस रोड के अध्यक्ष, जगदीश शर्मा ने अपनी पत्नी को बांधकर, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया तथा बाद में मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी।

चूंकि यह घटना रात में घटी तथा श्रीमती शर्मा के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था अतः उनकी चीखें कोई नहीं सुन सका। लेकिन संयोग से श्रीमती साहा ने आवाज सुन ली कि जो कि उनकी मकान मालकिन थी। उन्होंने दरवाजे को अन्दर से बन्द पाया तब उन्होंने शोर मचाया। काफी लोगों द्वारा दरवाजा पीटे जाने पर जगदीश शर्मा ने दरवाजा खोला। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बताया कि वह महिला जल रही थी। पड़ोसियों ने एक कम्बल मांगा जिसे देने से उसके पति ने इन्कार कर दिया। बाद में उन्होंने कम्बल दिया जिसमें लपेटकर उसे आई. जी. अस्पताल ले जाया गया। 12 फरवरी 1992 की सुबह उसने दम तोड़ दिया।

दुर्भाग्यवश पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बना कर दबा दिया है।

अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि आप मामले को देखें व अपराधी को कड़ी सजा देने का प्रबंध करें।

कॉ० गिरिजा की याद में

हमें अपने पाठकों को बड़े दुख के साथ अपनी सक्रिय साथी कॉ० गिरिजा पोट्टी की असमय मृत्यु का समाचार देना पड़ रहा है। वे एक अरसे से अखिल भारतीय समन्वय समिति की सदस्या थीं। वे बीमारी के कारण हमारी पिछली बैठक में भाग नहीं ले सकीं थीं। का. गिरिजा कामगार महिलाओं खासतौर पर केरल की महिलाओं की समस्याओं में गहरी रुचि लेती थीं। अपनी रुचि के कारण उन्होंने त्रिवेन्द्रम में कामगार महिलाओं के लिए होस्टल हेतु धन एकत्र करने का प्रयास किया। शायद अब यह तैयार है। चूंकि वे एक जुझारू कार्यकर्ता थीं अत. ए. जी. कार्यालय की हड़ताल में उनकी भागेदारी प्रबंधकों को रास नहीं आयी व उन्हें 1969 में मुअत्तल कर दिया गया। उनके प्रति का. पोट्टी तथा खुद यूनियन व पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। का. बी. गिरिजा को लोग अधिकतर गिरिजा पोट्टी कहते थे। उनकी 21.1.9। को तिरुअनंतपुरम में मृत्यु हो गयी। उन्हें पिछले पांच वर्ष से पैन्क्रियाज का कैंसर था। वे कॉन्फडेरेशन ऑफ सेंट्रल गवरमेंट एम्प्लाईज, तिरुअनंतपुरम के महिला विकास की चेयरमैन, आंगनवाड़ी वर्कर्ज यूनियन, (केरल राज्य) की पैट्रन कामगार महिला समन्वय समिति की नैशनल एग्जीक्यूटिव तथा 'आइड्वा' की केरल इकाई की कोषाध्यक्ष थीं। एन. जी. ओ. एसोसिएशन केरल में ए. जी. कार्यालय में वे कार्यसमिति सदस्य व उपाध्यक्ष जैसे पदों पर स्थित थीं। 1963 में ए. जी. कार्यालय में आयीं और इन्हें 1968 में बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें एक वर्ष से अधिक के लिए बाहर रखा गया। उन्होंने दफ्तर में व बाहर महिलाओं का एक सही उद्देश्य के पीछे लामबन्द करने के लिए व उन्हें नेतृत्व में जगह दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि मजदूर आन्दोलन में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करना ही होगी। मद्रास में हुए 39वें महिला सम्मेलन के साथ हुई कॉन्फ्रेंस में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके जाने से ए. जी. कार्यालय के कर्मचारियों के काम में एक ठहराव आ गया। उनके स्वभाव की जीवंतता, उनका हंसता हुआ चेहरा व काम के समय उनका सबके साथ सहयोगपूर्ण रवैया हमें सदा याद रहेगा व हमें अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा।

हम का. एस. एस. पोट्री, उनकी पुत्री अन्य परिवार जनों के प्रति अपनी हार्दिक सम्वेदना व्यक्त करते हैं।

का० के० पी० जानकी अम्माल को अश्रुपूर्ण विदाई

जानी मानी कम्युनिस्ट नेता के. पी. जानकी अम्माल का 2 मार्च 1992 की रात को माकपा के मदुरै जिला समिति कार्यालय में निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। का. जानकी अम्माल आइड्वा (तमिलनाडु) की अध्यक्षा व जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी थीं। वे अधिकतर लोगों में 'अम्मा' के रूप में मशहूर थी। वे पिछले 17 वर्ष से पार्टी कार्यालय में ही रह रही थीं।

उनके पिता का नाम पद्मनाभन व माता का नाम जानकी था। उनका जन्म 1917 में मदुरै में हुआ व 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना कैरियर स्टेज कलाकार के रूप में शुरू किया। उन्होंने का. गुरुस्वामी से विवाह किया जो कि उसी नाट्यदल के एक अभिनेता थे। धीरे-धीरे पति-पत्नी दोनों ही आजादी के संघर्ष की ओर आकर्षित हुए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया व तमिलनाडु की वेलोरा जेल में भेज दिया गया। का. जानकी अम्माल आजादी के संघर्ष में जेल जाने वाली तमिलनाडु की पहली महिला थीं। 1941 में वे बीमारी की हालत में वे जेल से बाहर आयीं लेकिन बाद में भी वे

कई बार जेल गयीं। बंगाल के अकाल के समय वे अपने पति के साथ, अपने बंगाली भाइयों के लिए धन एकत्र करने निकलीं। बंगाल की गीत वंगमा परदी (बंगाल को देखो) तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय था। 1943 में उन्होंने हारूम मिल हड़ताल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं को उनके विभिन्न मुद्दों के आधार पर भी संगठित करना आरंभ किया।

जेल के कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें 1948 से 1951 के लिए जेल भेज दिया। 1957 में वे किसान आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए पुनः जेल गयीं। 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय भी उन्हें कैद कर लिया गया था तथा बाद में छोड़ दिया गया व 1963 में छोड़ दिया गया। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री सरकार ने उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया।

1954 में वे जिला बोर्ड के चुनावों में विजयी हुईं। 1967 में पूर्वी मदुरै से विधायक चुनीं गयीं। 1963 में अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मदुरै जिला समिति कार्यालय में ही रहना आरंभ कर दिया हालांकि उनके परिवारजनों ने इस बात के लिए काफी दबाव डाला कि वे उनके साथ रहें। उनके दो मकान, गहने व अन्य महत्वपूर्ण चीजें पहले ही महिला आन्दोलन का निर्माण करने में लग गये हैं। का. जानकी अम्माल की स्मृति सदा हमारे मन में बनी रहेगी तथा मजदूर आन्दोलन में शामिल हो रहे युव वर्ग को मार्ग मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

बोट क्लब पर हजारों महिलाओं द्वारा गिरफ्तारी दी गयी

5 मार्च आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संघर्ष का एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन देश के कोने-कोने से आंगनवाड़ी महिलाओं ने अपनी अरसे से चली आ रही मांगों पर नरसिम्हा राव सरकार की चुप्पी के खिलाफ गिरफ्तारी दी। 1991 में गठित संघर्ष समिति ने 5 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन करने का फैसला लिया जबकि संसद में बजट पर लहस चल रही थी। ये महिलाएं 250/-110/- रु. ने मामूली वेतन पर देश के निचले से निचले तबके को स्वास्थ्य व कल्याण सेवाएं प्रदान करती हैं। संघर्ष समिति में सीटू, एटक. एच. एम. एस. व महासंघ के प्रतिनिधि शामिल हैं; वे आंगनवाड़ी महिलाओं को मानद समाज सेविकाओं की बजाय सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए तथा उनकी वेतन राशि को 25/- रु. से बढ़ाकर कम से कम न्यूनतम वेतन करने की मांग कर रही हैं।

किसी भी सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों के प्रति उचित रवैया नहीं अपनाया। बल्कि उन्होंने योजना का विस्तार न करने, निजीकरण कर देने व परिवार नियोजन का लक्ष्य भी जोड़ देने की धमकी दी। इसी रवैये के खिलाफ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार उत्तर प्रदेश व पांडिचेरी की हजारों महिलाओं ने बोट क्लब पर गिरफ्तारी दी। उन्हें महिला सांसदों ने संबोधित किया व आश्वासन दिया कि उनकी आवाज संसद में सुनी जायेगी। संसद में यह मुद्दा कॉ. सुशीला गोपालन द्वारा उठाया गया व अन्य विपक्षी सांसदों ने इसका समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने बोट क्लब पर महिलाओं को सम्बोधित किया। मालिनी भट्टाचार्य व सुशीला गोपालन ने माकपा की ओर से तथा कमला सिन्हा, गिरिजा देवी व सरोज दुबे ने जनता दल की ओर से महिलाओं को संबोधित किया। उन्हें श्रमिक नेताओं ने भी संबोधित किया। इनमें विमल रणदिवे (सीटू) किरण अरोड़ा (एच.एम.एस), राजकुमारी व हुकुम सिंह (एन.एफ.टी) शामिल थे, दूसरे राज्यों से महिलाओं के साथ आये नेताओं में का. मधु सेठिया (राजस्थान), किरण मोगे, जानकी देवी (बिहार) शामिल थीं। जैसे ही गिरफ्तारी के कार्यक्रम की घोषणा की गयी महिलाओं में उत्साह भर आया। उन्हें गिरफ्तार करके संसद मार्ग थाने ले जाया गया। महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या के कारण पुलिस अधिकारी स्वयं उनके नाम नोट करने में समर्थ नहीं थे अतः उन्होंने उनके नेताओं से उनके व संगठन के नाम देने का अनुरोध किया। 3 साल से उनकी मांगे न मानी जाने के कारण महिलाओं ने सरकार व कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

दिल्ली में सत्ता के प्रतिष्ठानों को हिलाने के लिए बिना टिकट यहां तक की यात्रा करने महिलाओं ने जबर्दस्त हिम्मत का परिचय दिया।

फार्मास्यूटिकल उद्योग में महिलाओं का संघर्ष

सुजाता घोटोस्कर

(निम्न लेख सुश्री सुजाता घोटोस्कर द्वारा लिखा गया है। वे एक श्रमशोधकर्ता हैं, तथा विशेष रूप से महिला उद्यमियों की समस्याओं पर शोध कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में यह लेख हमारे पाठकों के लिए रोचक होगा। उन्होंने विवाह की शर्त, गर्भावस्था लाभ तथा ठेका प्रणाली के खिलाफ संघर्ष के मुद्दे उठाये हैं। सीटू तथा ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. ने भी ये मामले उठाये हैं। मजदूर आन्दोलन में व्याप्त पुरुष एकाधिकार के कारण महिलाओं के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुश्री घोटोस्कर ने इस प्रश्न को बहुत ही सटीक ढंग से सामने रखा है। अभी भी बहुत-सी समस्याएं अनसुलझी हैं। हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए यह लेख यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं, साथ ही सुजाता को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन समस्याओं पर समुचित ढंग से प्रकाश डाला।—सं.)

फार्मास्यूटिकल उद्योग में संगठन-कार्य

भारत में, 1940 से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के कारण, फार्मास्यूटिकल उद्योग महिलाओं को रोजगार देने वाला एक प्रमुख उद्योग रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा भारतीय कम्पनियों ने उद्योग में लिंग आधार पर श्रम-विभाजन की प्रक्रिया शुरू की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रचलित है। खासतौर से पैकिंग विभाग में अनेक महिलाओं को रखा गया। जबकि अन्य विभागों जैसे उत्पादन, गुणवत्ता-नियन्त्रण आदि में केवल पुरुषों को ही रखा गया था वेतन बेहद कम था तथा यूनियनें भी नहीं थीं।

मे एण्ड बेकर कम्पनी (अब रोहने पोलेन्क) की कर्मचारी निमा बताती हैं "जब हमने अपनी यूनियन बनाने की कोशिश की तो हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरुआती कदम बड़ी हबड़-तबड़ में उठाए गये। हमने एक-एक व्यक्ति के पास जाकर उससे समस्याओं के बारे में बात की जैसे—'क्या आपको नहीं लगता कि हमारा काम का समय बहुत अधिक है!' 'विवाह के बाद हमारी नौकरी क्यों छिन जाती है, जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं है?' आदि"

वरोज वेल्कम की फिलोमेना ने बताया, "जब हमने पहली बार अपनी यूनियन बनायी तब मेरा खयाल है कि मुझे डराने के लिए प्रबंधकों के लोगों ने घर तक मेरा पीछा किया।"

लोगों में बड़ा उत्साह था। हम में से कुछ तो बहुत छोटी थीं। मैं सोलह साल की थी, लेकिन मैंने प्रबंधकों को उम्र अठारह वर्ष बतलायी क्योंकि उससे कम उम्र में नौकरी देना गैर-कानूनी था। हमें नौकरी की सख्त जरूरत थी अन्यथा हम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्यों आते। लेकिन हमें अपनी असुरक्षा की भावना के सम्बन्ध में कुछ करना था।" पार्क डेविस की मीरा ने बताया।

इन अनेक उद्योगों में मजदूरों को कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा तब जाकर वे सफल हुए।

वेतन, काम के घण्टे तथा असुरक्षा के अतिरिक्त ऐसी अनेक शर्तें थीं जो महिलाओं के साथ भेद-भाव करती थीं। इसी प्रकार की शर्त 'विवाह-शर्त' थी। कुछ प्रबंधक करार में स्पष्ट रूप से कहते थे कि विवाह करने के पश्चात् महिला कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जायेगा, जबकि लोग थोड़ा अनौपचारिक तरीका अपनाते थे। इससे वे न केवल वे अनेक लाभों को देने की जिम्मेदारी से बच जाते थे बल्कि इसके कारण वे काफी लचीली श्रम-शक्ति रख पाते थे। कुछ कम्पनियों में महिलाओं के लिये सेवानिवृत्ति की उम्र 55 वर्ष थी जबकि पुरुषों के लिए यह उम्र 60 वर्ष थी। गर्भावस्था लाभ या क्रेच की कोई सुविधा नहीं थी। यह 1950 के दशक की बात है।

पचास के दशक के अन्त तक इनमें से अधिकतर उद्योगों के मजदूरों ने अपनी यूनियनें बना लीं जो कि 60 व 70 के दशक बहुत मजबूत हो गयीं। दरअसल बम्बई के फार्मास्यूटिकल उद्योग में यूनियनवाद में कुछ असामान्य बातें देखने में आयीं। इनमें से एक विशेषता स्वतन्त्र यूनियनों का वर्चस्व थी। समाज तथा उद्योग में व्याप्त अनेक स्तरों को देखते हुए बात उल्लेखनीय थी।

स्वतंत्र यूनियनों के सीधे मजदूरों द्वारा नियन्त्रित होने की संभावनाएं अधिक थीं साथ ही इनमें महिलाओं की भागेदारी भी ज्यादा हो सकती थी। कुछ हद तक प्रबंधक भी स्वतंत्र यूनियनों के तरफदार थे ताकि वे उन्हें कब्जे में रख सकें। लेकिन एक बार जब यह बात स्पष्ट हो गयी कि स्वतंत्र यूनियनों को वे अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उन्होंने उनका विरोध आरंभ कर दिया। फार्मास्यूटिकल उद्योग की यूनियनों के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात, उद्योग-आधारित फेडरेशन के गठन में उनकी सफलता थी। इससे उनके लिए ऐसे मुद्दे उठाना संभव हो गया जिन्हें वे अलग-थलग रह कर नहीं उठा सकती थीं।

विवाह-शर्त के खिलाफ संघर्ष

फरवरी 1960 में ऑल इंडिया केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल एम्लॉईज फेडरेशन के गठन के बाद महिला उद्यमियों व यूनियनों द्वारा किए गये संघर्षों में से एक प्रमुख संघर्ष विवाह-शर्त के खिलाफ उनका संघर्ष था। विवाहित महिलाओं को नौकरी न देने की शर्त के कारण अनेक महिलाओं को अपने विवाह की बात छिपानी पड़ती थी। अन्यथा उन्हें बर्खास्त या इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाता। फार्मास्यूटिकल उद्योग की यूनियनों व उनकी फेडरेशन ने 1960 के बाद ही विवाह शर्त के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। इस शर्त के खिलाफ महिला उद्यमियों में व्याप्त असंतोष 1964 में 'मैं एण्ड बेकर' कम्पनी की एक कर्मचारी को विवाह की घोषणा करने पर बर्खास्त कर दिये जाने पर भड़क उठा। यूनियन ने इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने श्रम-प्राधिकरण में अपील की। श्रम-आयुक्त ने फैसला दिया कि प्रबंधक गर्भावस्था लाभ प्रदान करने से बचने के लिये विवाह शर्त का इस्तेमाल कर रहे थे अतः निकाली गयी महिला उद्यमियों को पुनः काम पर रखा जाये। प्रबंधकों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने श्रम-आयुक्त के निर्णय को यह कर बदल दिया कि य शर्त प्रबंधकों व मजदूरों के बीच करार में शामिल है, तथा करार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

फार्मास्यूटिकल उद्योग की सभी यूनियनें इस मुद्दे पर एकमत हो गयीं व उन्होंने विवाद-शर्त के खिलाफ राष्ट्र व्यापी प्रचार अभियान चलाया। यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की। एक महिला यूनियन कार्यकर्ता उस समय की याद करते हुए कहती हैं—"उस समय त्यौहार जैसा माहौल बन गया था। लगभग हर रोज हमारे प्रदर्शन व नारेबाजी होती थी। 20 फरवरी 1965 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की सभी कम्पनियों की महिलाओं ने एक दिवसीय उपवास किया। एक बड़ा जुलूस निकाला गया तथा एक पुतला भी जलाया गया। राख अरब सागर में फेंक दी गयी। उन दिनों हमारा ऐसा मूड बन गया था कि एक दिवसीय उपवास के अगले ही दिन कुछ फैक्ट्रियों ने अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल कर दी।

कर्मचारियों के इस जबर्दस्त विरोध के परिणाम-स्वरूप विवादित महिलाओं को नौकरी से निकाले जाने से रोकने के लिए एक चालू आदेश में परिवर्तन करने हेतु एक गैर-आधिकारिक विधेयक पर महाराष्ट्र विधानसभा में विचार हुआ तथा सरकार ने विवाह-शर्त को लागू न करने के लिए मालिकों पर दबाव डाला। अन्ततः उसी वर्ष (1967 में) उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि विवाह-शर्त गैर कानूनी है। इसी प्रकार 1977 में महिला उद्यमियों ने अपनी सेवा-निवृत्ति की उम्र 55 से बढ़ाकर 60 करवाने के लिए सफल संघर्ष किया।

गर्भावस्था लाभों के लिए संघर्ष

विवाह-शर्त के मुद्दे के बाद ही गर्भावस्था लाभों का मुद्दा उठा। विभिन्न उद्योगों की यूनियनों तथा ए. आई. सी. ए. पी. एफ. ई. ने यह मुद्दा उठाया तथा प्रबंधकों पर लगातार दबाव डाला। 1961 में विभिन्न राज्यों के मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट समाप्त करके एक आल इंडिया मैटर्निटि बेनिफिट एक्ट पारित किया गया जिसके तहत 12 सप्ताह के गर्भावस्था अवकाश (छः सप्ताह शिशु जन्म के पहले तथा छः सप्ताह शिशु जन्म के पश्चात्) का प्रावधान रखा गया। मालिक इस प्रावधान का पालन करने को तैयार नहीं थे।

1974 में गर्भावस्था लाभों को लागू किए जाने की मांग को लेकर महिला उद्यमियों का एक प्रतिनिधि मंडल श्रम मंत्री से मिला व उन्हें एक ज्ञापन दिया जिस पर हजारों महिलाओं के दस्तखत थे। शुरू में ये लाभ केवल उन महिला उद्यमियों के लिए ही थे जो ई. एस. आई.

एस. के तहत आती थीं यानि जिनकी मासिक आय 1000/- रु० से कम थी। 70 के दशक के अन्त में यूनियनों ने अपने मांग पत्रों व संयुक्त संघर्ष के जरिये ये लाभ अन्य कर्मचारियों को भी प्रदान करने के लिए प्रबंधकों पर दबाव डाला।

विभिन्न फैक्ट्रियों में स्वतन्त्र प्रदर्शन भी हुए। 1960 की शुरुआत में लगभग सभी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां प्रावधान के मुताबिक गर्भावस्था लाभ प्रदान कर रही थीं। कुछ अपवाद भी थे जैसे बोह्रिगर-नौल जर्मन टीमेडीज एण्ड रौक जो केवल दो माह का गर्भावस्था अवकाश प्रदान कर रही थीं तथा 'बूट्स' कंपनी जो तीन माह (आधे वेतन पर) का अवकाश प्रदान करती थी। अस्थायी व नैमित्तिक कर्मचारी जो कि बहुत बड़ी संख्या में हैं, ऐसा कोई लाभ नहीं पा रही हैं।

क्रेच की सुविधा भी एक लम्बे संघर्ष के बाद हासिल की गयी। 'ग्लैक्सो' क्रेच की सुविधा प्रदान करने वाली पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी। अन्य अनेक कंपनियों ने बार-बार मांग करने के बावजूद बहुत बाद तक क्रेच की सुविधा प्रदान नहीं की। 'फिफ्जर' में 1964 में एक क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। 1963 में 'ई. मर्क' तथा 'इंडो फार्मा' जैसी कंपनियां भी थीं जिन्होंने कानून का पालन नहीं किया। हाल ही में, सितम्बर '90 में 'जॉन्सन एण्ड जॉन्सन' की एक ठेका कर्मचारी को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा ताकि क्योंकि वह कंपनी के क्रेच का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जो केवल स्थायी महिला उद्यमियों के लिए था। इस बात पर महिला उद्यमियों में बहुत रोष था।

अनेक यूनियनों द्वारा संघर्ष से प्राप्त किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार प्रमुख रेलवे स्टेशनों से आवागमन की सुविधा था। इससे महिला उद्यमियों को काम पर आने व वापस जाने की समस्या से राहत मिली, खासतौर से तब जबकि उन्हें अपने बच्चों को भी अपने साथ लाना पड़ता था।

यूनियनों ने अलग शौचालयों व आरामगृह आदि की सुविधा भी हासिल की।

समर्थन व सहयोग

साठ व सत्तर के दशक में फार्मास्यूटिकल उद्योग की यूनियनों की गतिविधियों का एक प्रमुख क्षेत्र संघर्ष, समर्थन व सहयोग रहा है। इसने निम्नलिखित रूप लिए हैं:

1. स्वतंत्र प्रतिष्ठानों में शोषण के खिलाफ संघर्ष।

2. स्वतंत्र उद्योगों में होने वाले विभिन्न संघर्षों का समर्थन व सहयोग उदाहरणार्थ: 1964 सभी उद्योगों के सभी मजदूरों ने 'मे एण्ड बेकर कंपनी' व 'रोके कंपनी' के मजदूरों की मांगों के समर्थन में एक दिन के लिए काम रोक दिया था।

3. मध्यम दर्जे के फार्मास्यूटिकल उद्योगों यूनियनों के गठन में सहायता। हालांकि संगठन का यह 70 के दशक में अपनी चरम सीमा पर था लेकिन, हाल ही में, 1986 में कुछ छोटे व मध्यम स्तर उद्योगों की यूनियनों के नेता ए. आई. सी. ए-एफ. पी. ए. से थे और इन यूनियनों में अधिकतर महिलाएं होती थीं।

4. सहायता करार से अस्थायी कर्मचारियों को सहायता मिलती हैं।

ये उपलब्धियां न केवल फार्मास्यूटिकल उद्योग की महिला उद्यमियों के लिए बल्कि तमाम महिला कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थे। उनसे विभिन्न तबकों के मजदूरों के हित स्पष्ट हुए। इन संघर्षों में महिलाएं प्रायः अग्रिम पंक्ति में होती थीं।

"हमारी चर्चाओं का एक प्रिय स्थान महिला कक्ष होता था। चाय अथवा भोजनावकाश में या किसी अन्य समय पर भी जब अन्य मुद्दा जैसे सुपरवाइजर द्वारा परेशान किया जाना, पदोन्नति से इन्कार करना, छुट्टी न देने, काम का भार या कोई घरेलू समस्या होती थी तो हम यहां आकर उस पर चर्चा किया करते थे।"

"संकट के समय में महिलाएं अधिक सक्रिय होती हैं। यदि किसी महिला से सम्बन्धित किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला होना है तो आप उसे बैठक में आने से रोक नहीं सकते। रोजमर्रा का काम पुरुषों का होता है।" ज्योफ्री मैनर्स की सुषमा ने कहा, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पुरुषों को रोजमर्रा के काम के बारे में घर पर चिन्तित नहीं रहना पड़त। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है।"

प्रबन्धकों का प्रत्याक्रमण

1970 के दशक के अन्त में शुरू हुए फार्मास्यूटिकल यूनियन के दूसरे चरण में प्रबंधकों ने कई संघर्ष द्वारा अर्जित किए गये मजदूर वर्ग के उन लाभों पर हमला

करने की कोशिश की। उनका हमला—1. महंगाई भत्ते 2. यूनियन 3. पिछले दशकों में मजदूरों के विभिन्न तबकों द्वारा हासिल किए गए लाभों पर था। उससे हमेशा महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा।

फार्मास्यूटिकल उद्योग में कार्यरत महिलाओं की संख्या घटनी आरंभ हो गयी। साठ व सत्तर के दशक में बम्बई में इस संख्या में बहुत तेजी से कमी आयी। कुछ कम्पनियों ने महिलाओं को रोजगार देना बन्द कर दिया। उसके बजाय छोटी कंपनियों के साथ करार किये गये। काम का दबाव बढ़ाकर अनेक महिलाओं को काम छोड़ने पर मजबूर किया गया। दूसरे शब्दों में प्रबंधक जो काम एक तरीके से नहीं कर पाये थे वह उन्होंने दूसरे से कर लिया। यूनियन के मामलों में भी महिलाओं की भागेदारी घटती गयी।

इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। 1980 में ऑटोमेशन बढ़ाने के विरुद्ध दो प्रमुख फैक्ट्रियों में महिलाओं ने दो प्रमुख संघर्ष किये। एक फैक्ट्री में मजदूर ऑटोमेशन तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर उसके बुरे असर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। दूसरी फैक्ट्री में मजदूरों ऑटोमेशन व काम के अधिक दबाव के विरुद्ध संघर्ष किया। दोनों ही मामलों में महिलाओं ने इन समस्याओं के प्रति पुरुष मजदूर नेताओं की संवेदनहीनता के खिलाफ संघर्ष किया।

पुरुष प्रधान यूनियनों को चुनौती

पहली कम्पनी ज्योफ्री मैनर्स में महिलाएं हृदय रोगियों के लिए आइसो सोरबाइड डाइनाइट्रेट गोलियां बनाती थीं। काम शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद वे बेहोशी की सी अवस्था में बाहर आ गयीं। कुछ के चेहरे पीले पड़ गये। जब इस मामले को पुरुष यूनियनों ने उठाने से इंकार कर दिया तो महिलाओं ने अपनी खुद की यूनियन बना ली। अपनी यूनियन के माध्यम से कार्य-स्थल में बेहतर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया जिसमें वे उस पाउडर से बच सकें। उन्होंने शिफ्ट बदलवाने के लिए भी संघर्ष किया। ये मांगें मान ली गयीं। 1985 प्रबंधकों ने सुपरफास्ट मशीनें लाने की कोशिश की जिसका अर्थ था अधिक गोलियों का उत्पादन व हवा में पाउडर की अधिक मात्रा।

महिलाओं ने यूनियन रिसर्च ग्रुप बम्बई से समस्या का अध्यन करने के लिए कहा था। इस अध्ययन की रिपोर्ट को लेकर श्रम आयुक्त से मिलीं, दो वर्ष तक संघर्ष किया तथा मशीन को विभाग में आने से रोका। बाद में जब प्रबंधक मशीन लाए तो महिलाओं को दूसरे विभाग में तबादले की इजाजत दी गयी।

इस बीच महिला उद्यमी अपनी यूनियन को मान्यता दिलवाने के लिए संघर्ष करती रहीं। हालांकि उन्हें अन्य मजदूरों से सहायता मिली लेकिन न्यायालय ने मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया।

एक अन्य कम्पनी पार्क डेडिवस में महिलाओं ने बिना पूर्व-विचार विमर्श के तेज मशीन के लगाये जाने का विरोध किया। अधिकतर महिलायें पैकिंग विभाग में ही काम करती थीं जहां से मशीनें लगायी गयीं थीं।

इस कम्पनी में पुरुषों का ही वर्चस्व था। पैकिंग विभाग में शायद ही कोई पुरुष रहा हो। अन्त में पैकिंग विभाग की महिलाओं ने धरना दिया।

"जब तक कुछ लाखों की रफ्तार नहीं घटायी जाती तब तक हमने काम करने से इन्कार कर दिया। हमने उनसे पूछा यह कहने का क्या अर्थ था कि हमारी यूनियन के नेता विभाग में नहीं आ सकते।" मीरा कुमारी ने कहा, जो बाद में अपनी यूनियन की पदाधिकारी बन गयीं।

इसके अलावा महिला उद्यमियों में इस बात पर भी असंतोष था कि पुरुष नेतृत्व पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। अपनी अनुभवहीनता के कारण बहुत सी महिला उद्यमियों में यूनियनों के रोजमर्रा के काम के लिए भी आत्मविश्वास नहीं था। फिर भी वे यह देखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थीं कि जब वे स्वयं समिति में होंगी तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रबंधकों से बात करेंगी तो वे क्या कुछ कर सकेंगी। चुनावों में सभी महिलाओं ने भाग लिया जिनमें गर्भावस्था अवकाश पर गयी महिलायें भी शामिल थीं। इसके परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियन के महत्वपूर्ण पदों पर महिलायें चुनी गयीं। नेतृत्व में आने के बाद वे महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण लाभ हासिल करने में सफल हुई। सबसे पहले उन्होंने भारी भरकम कार्यक्रम का विरोध किया जब तक कि कार्यविवरण सम्बन्धी शर्तों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण सफलता यह थी कि उन्होंने काम के घंटों के बीच से यूनियन के कामों के लिए समय भी प्राप्त

किया। यह एक महत्वपूर्ण मांग थी क्योंकि प्रायः महिलाओं को काम के समय के बाद यूनियन के लिए काम करने में बहुत परेशानी होती थी। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग एबोर्शन के लिए छुट्टी की सुविधा प्राप्त करनी थी। महिलाओं ने महसूस किया कि महिलाओं ने प्रबंधकों के मुकाबले में शक्ति हासिल की है। इससे पहले यूनियन के पदाधिकारियों को दूसरे विभागों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी भले ही वहां कुछ समस्या हो। अब महिला नेताओं ने इस बात के लिए दबाव डाला।

महिलाओं द्वारा यूसियन का मेतृत्व सम्हालमे के कुछ ही समय तीन साल के लिए प्रबंधकों के साथ समझौता करमे का समय आ गया। महिलाओं को अभी यूनियन का काम-काज का पर्याप्त अनुभव नहीं था और पूर्ववर्ती पुरुष नेतृत्व भी सहायता के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। महिलाओं ने यूनियन चलाने की तकनीकी बारीकियों को समझने के लिए मेहनत व संघर्ष किया। इस काम में महिलाओं के समक्ष आयी समस्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दो वर्ष से कम की अवधि में महिलाओं के तीन ग्रुप इस काम को सम्हालने के लिए आये और गये। जो बातें अन्य पुरुष नेताओं ने वर्षों के अनुभव से सीखी थीं उन्हें सीखने के लिए महिलाओं के पास बहुत थोड़ा समय था। एक बार फिर यूनियन का नेतृत्व पुरुषों के हाथ में आ गया।

इस सारी प्रक्रिया में दो से तीन वर्ष का समय बीत गया। आज महिलाएं कुछ हतोत्साहित दिखाई देती हैं। लेकिन यह उनके लिए बहुत कुछ सीखने वाला अनुभव भी रहा। वे यह महसूस कर मकती हैं कि पुरुष नेतृत्व की बराबरी पर आने के लिए उन्हें अपनी योग्यता दुगनी करनी होगी। वे यह भी समझ सकती हैं कि ट्रेड यूनियन में पुरुषों की बराबरी के दर्जे पर आने के लिए उन्हें एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आजकल महिला मजदूर नेता काफी अलग थलग हैं। एक दूसरे से सम्पर्क बनाए रखने के लिए कोई निश्चित ढांचा नहीं है, हालांकि उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

आगे की ओर

रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसी स्थिति दिखती है। इससे तहिला उद्यमियों के विभिन्न तबकों के बीच अपने आपको और संगठित करने की आवश्यकता उजागर हाती है। यूनियन की स्थिति में महिलाओं के लिए अपनी बात पर जोर डालना मुश्किल होता है, भले ही वे बहुमत में हों, जैसा कि आमतौर पर नहीं होता। बम्बई फार्मास्यूटिकल उद्योग में महिलाओं द्वारा एकजुट होने से अलग-थलग प्रयास किये गये हैं। पुरुषों को लगभग हर रोज यह अवसर प्राप्त होता है तथा वे महिलाओं के लिए इसके महत्व को नहीं देखते। लेकिन जब नियुक्ति, पदोन्नति में भेदभाव, लिंग आधार पर काम में विभाजन तथा ग्रेड आदि में भेदभाव के मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की बात आती है तो महिलाओं के एकजुट होने तथा अपने अनुभव व जानकारी अपस में बांटने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

यदि महिला उद्यमी/नेता जैसे संगठनों का हिस्सा होंगीं तो वे इन मुद्दों को उठाने में अधिक आत्मविश्वास का अनुभव करेंगी क्योंकि वे इन पर पहले विचार कर चुकी होंगी, इसके आलावा तकनीकी व जानकारी भी आपस में बांटी जा सकेगी। इसके अलावा ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो हालांकि केवल की महिलाओं को ही प्रभावित करते हैं लेकिन यदि वे संयुक्त रूप से उठाये जाते हैं तो ज्यादा कारगर साबित होंगे।

हाल ही में कुछ फर्मास्युटिकल उद्योगों की महिलाओं से हुई हमारी बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि वे अपने संगठित करने के अपने पिछले अनुभवों को असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए तैयार हैं। यह किसी महिला मजदूर/मर्मचारी संगनठ की एक सार्थक दिशा हो सकती है।

वर्तमान में फर्मास्यूटिकल उद्योग की महिलाएं कुछ भेदभावों का सामना कर रही हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. महिला उद्यमियों को पैकिंग जैसे किसी एक विभाग तक सीमित कर देना व अन्य विभागों से उन्हें अलग रखना।

2. महिलाओं के काम को निचले ग्रेड में रखना व उन्हें कम वेतन देना। महिलाओं को मुख्यरूप से पैकर, चौकर व लेबल लगाने व बोतलें साफ करने के कामों में ही लगाया जाता है। उन्हें हमेशा निम्नलिखित ग्रेड में रखा जाता है। इसका अर्थ है कि महिलाएं औसतन पुरुषों से कम कमाती हैं।

3. महिलाओं की पदोन्नति बहुत कम होती है। जब

(शेष पृष्ठ 24 पर)

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिला की महिलाओं एवं कामकाजी महिलाओं का

अफसरशाही, सामंती जुल्म एवं महंगाई के विरुद्ध संघर्ष

मिथिलेश जोगी

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिला की महिलाओं ने वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य सवालों पर शिवपुरा नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र देने में नाजायज तरीका अख्तियार करने और तंग करने के विरुद्ध एक संयुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाकर जिला अधिकारी के पास प्रतिनिधिमंडल मिलकर नगरपालिका अधिकारियों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई करने और तंग, परेशान करने की नीति बंद करने की मांग की है।

मध्यप्रदेश महिला संगठन की ओर से विश्व महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को शिवपुरी जिला अधिकारी, एवं मुख्यमंत्री को एक साथ पत्र देकर मांग भी की है कि तिरसौढ़ ग्राम की हरिजन महिलाओं के आवेदन पत्रों के ऊपर जांच कार्रवाई की जाये, भिलवारा तहसील की पेहरी ग्राम पंचायत की आदिवासी महिलाओं के आवेदनों पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाय; महिला कामगारों को पुरुष कामगारों के समान 40/- (चालीस रुपये) न्यूनतम वेतन लागू किया जाय; औद्योगिक मजदूरों महिला समेत सभी परिचय पत्र, दैनिक मजदूरी और साप्ताहिक मजदूरी दिलाने की ठोस व्यवस्था की जाय; दैनिक महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश प्रसूति भत्ता का भुगतान कराने की व्यवस्था की जाये; पचास वर्ष से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन 150/- (एक सौ पचास) रुपया प्रतिमाह पेंसन भुगतान कराने की व्यवस्था की जाय एवं महिलाओं को भी पुरुषों के समान नौकरी पाने का समान अधिकार दिया जाये।

शिवपुरी जिला के पुरानी शिवपुरी मुहल्ला के कुम्हार जाति के हरिजन महिला और पुरुषों ने एक संयुक्त आवेदन देकर जिला अधिकारी से मांग की है कि उनके परंपरागत अधिकारों की वन विभाग के अधिकारियों द्वारा छीना जा रहा है। पहले उन्हें बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने, जंगल से पत्ता और जलाने की लकड़ी लेने के लिए न तो कोई लाइसेंस या अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती थीं और ना ही बर्तन पकाने के लिए आबा लगाने के लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी सारी जमीन पर जंगलात विभाग ने कब्जा कर लिया है और परंपरागत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

इस तरह हमारे जीवीकार्जन का जो एक मात्र सहारा था उसे छीन लिया गया है और भूखों मारने की साजिश सारे अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। इस संयुक्त आवेदन के साथ ही आवेदकों ने जिला अधिकारी से मांग की है कि मिट्टी खोदकर लेने, पत्ता और लकड़ी बीनने तथा आबा लगाने के परंपरागत अधिकारों को सुरक्षित कराने की व्यवस्था करें। साथ ही इस संबंध में इससे पूर्व भी 27-2-92 को दिये गये आवेदन पत्रों पर भी अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है।

महिला संगठनों की ओर से शिवपुरी जिला के अधिकारी के सामने महिला संगठनों और कामकाजी महिलाओं की ओर से 20 फरवरी 1992 को माधव चौक से एक विशाल प्रदर्शन निकाला गया और जिला अधिकारी के सामने धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं का यह जलूस माधव चौक चौराहे से निकाल कर जिला-अधिकारी कार्यालय तक 40 रुपये न्यूनतम मजदूरी लागू करने, महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रसूति भत्ता देने, हरिजन और आदिवासियों पर जुल्म रोकने तथा महंगाई पर रोक लगाने एवं आवश्यक 14 वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से मुहैय्या कराने एवं जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की आवाज बुलंद करते हुए पहुंचे। यह कार्यक्रम चार बजे अपराह्न तक चला।

धरना कार्यक्रम का महिला नेतृत्व रामकली बाई, शांति बाई जोरी, राधा बाई कोटी, नथिया बाई झा, कामरेड अशरफ जाफरी, धन्ती बाई जाटवे, का० जमुना प्रसाद योगी तथा मिथलेश योगी ने सम्बोधित किया।

पंजाब आंगनवाड़ी महिलाओं ने हजारों की संख्या में गिरफ्तारी दी

आल इंडिया आंगनवाड़ी एंप्लाईज फेडरेशन ज्वाइंट संघर्ष समिति के आह्वान पर पंजाब की आंगनवाड़ी महिलाओं ने आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन, पंजाब के नेतृत्व में 9 मार्च को सामूहिक गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के पहले इन कर्मचारियों ने चंडीगढ़ सेक्टर-17 में एक विशाल रैली की।

रैली को ऑल इण्डिया आंगनवाड़ी वर्कर्ज एंड हेल्पर्ज फेडरेशन की सचिव श्रमती सुरिन्दर कौर, आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की संयोजक श्रीमती राजवंत कौर, श्रीमती कुलविन्दर कौर (महासचिव), श्री सुखदेव सिंह बाहरी, अध्यक्ष पी. एस. एस. एफ., श्रीमती राजिन्दर कौर चोका, महासचिव, जनवादी स्त्री सभा राजरानी, सुरजीत कौर, निर्मल कान्ता, मीनाक्षी, राजिन्दर कौर व अन्य लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने केन्द्र व राज्य सरकारों की इस बात के लिए भर्त्सना की कि वह इन कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि 274 तथा 100 रुपये प्रदान करना शर्मनाक है। उन्होंने इन कर्मचारियों की मांगें तुरन्त माने जाने की मांग की आंगनवाड़ी महिलाओं की मांग है कि उनका योग्यता के अनुसार वेतनमान निर्धारित किया जाये तथा जब तर ऐसा नहीं है तब तक उन्हें न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाये, छह माह का गर्भावस्था अवकाश प्रदान करने के साथ ही साथ निरीक्षकों के पद पर सीधी नियुक्तियां बन्द करके उन्हें पदोन्नति के आधार पर भरा जाये। इन कर्मचारियों को सैक्टर-9, चौक के पास गिरफ्तार कर लिया गया व उन्हें बसों में बैठा कर ले गयी।

पी. एस. एस. एफ. के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह भाटी, नजर सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), दर्शन सिंह मंडर, आल क्लास IV एम्प्लाईज यूनियन पंजाब तथा रेडियोग्राफर ऐसोसिएशन पंजाब, स्वास्थ्य विभाग के महासचिव ने लाठीचार्ज व पुरुष पुलिस के हस्तक्षेप की निन्दा की।

(पृष्ठ 22 का शेष)

कभी पदोन्नति का अवसर होता भी है तब भी महिलाओं को नजर अंदाज कर दिया जाता है तथा वह अवसर पुरुषों के पास चला जाता है। महिलाएं इस मुद्दे पर पहले लड़े गये दो मुद्दों से भी ज्यादा गंभीर हैं।

ये मामले तथा ये रणनीतियां यूनियनों द्वारा नहीं उठायी गयी हैं क्योंकि वे इनके पीछे तर्क को भी स्वीकार करती हैं। यदि इनमें से कोई मामला आज उठाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत शिकायत के रूप में लिया जाता है न कि महिलाओं के खिलाफ भेद-भाव के रूप में देखा जाता है। बेशक ये मुद्दे फर्मास्यूटिकल उद्योग की महिलाओं के संगठन व संघर्ष के एक नये चरण की शुरूआत हो सकती है।

Book Post